

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2003

प्रार्थीगण:-

बनाम अप्रार्थीगण:-

1. गोर्धन वगैरह
उपस्थिति:-

1. मंदिर श्री महादेवजी जरिये पुजारी सोनपुरी

1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी.)

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी.

—:आदेश:-


दिनांक 28.02.2020

1. वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी.के तहत दिनांक 25.02.2006 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी धापु का स्वर्ग वास दिनांक 21.08.2003 को हो गया। उसके कायम मुकाम उसके दो पुत्रीया सीता पत्नी हरीकिशन थौरी निवासी मरवाड़ जक्शन तथा श्रीमती नारायणी पत्नी दिलीप थौरी निवासी मारवाड़ जक्शन है। इन दोनों को पत्रावली पर लाने के लिये प्रार्थना अदर मयाद कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया चुकी धापु की दोनो पुत्रीया शादी शुदा है ससुराल मे रहती है अतः उनके इन्टरेस्ट को पत्रावली को मौजूद प्रार्थीगण गोर्धन,राणा, सरवन रिप्रजेन्ट नहीं करते है। चुकी प्रार्थी ने इन दोनो कायम मुकाम नारायणी व सीता को रेकर्ड पर लाने के लिये आज दिनांक तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है इस कारण सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र उपशमन हो जाने से खारिज योग्य है व अन्य प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थीगण ने अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व सी.पी.सी. के तहत दिनांक 23.07.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गोर्धन के स्वर्गवास की जानकारी स्वयं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेशी दिनांक 18.11.2015 को न्यायालय की आदेशिका मे अपने हस्तलेख मे लिखकर एवं हस्ताक्षर कर दी परन्तु फिर भी पिछले चार वर्षो से प्रार्थीगण द्वारा मृत प्रार्थी गोर्धन के कायममुकामात को रेकर्ड पर प्रतिस्थापित करने बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। विधि अनुसार मृत प्रार्थी के कायम मुकामात को रेकर्ड पर प्रतिस्थापित करने हेतू विहित मयाद अवधि मृत्यु की दिनांक से 90 दिन है। 90 दिनों के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो गया तथा एबेटमेन्ट को अपास्त करने की मयाद अवधि 60 दिन है जो भी व्यथित हो चुकी है। अतः प्रार्थीगण का अवमानना प्रार्थना पत्र एबेट हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एबेट फरमाने का आदेश फरमावे।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्रो का प्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु 21.08.2003 को हो चुकी है जिनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर प्रतिस्थापित करने हेतू आज दिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। इसका अलावा अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी धापू की मृत्यु की सूचना 25.02.2006 को वकील प्रार्थी को दी गयी तथा प्रार्थी गोर्धन के स्वर्गवास की जानकारी स्वयं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा


सहायक कलेक्टर
पाली

पेशी दिनांक 18.11.2015 को न्यायालय की आदेशिका में अपने हस्तलेख में लिखकर एवं हस्ताक्षर कर दी परन्तु फिर भी पिछले 16 वर्षों से भी अधिक समय से प्रार्थीया धापु तथा करीब चार वर्षों से मृत प्रार्थी गोरधन के कायममुकामात को रिकॉर्ड पर प्रतिस्थापित करने बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। विधि अनुसार मृत प्रार्थी के कायम मुकामात को रिकॉर्ड पर प्रतिस्थापित करने हेतु विहित मयाद अवधि आर्टिकल 120 लीमिटेशन एक्ट के तहत मृत्यु की दिनांक से 90 दिन है। अतः 90 दिनों के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 (2) सी.पी.सी. के तहत बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो गया तथा एबेटमेंट को अपास्त करने की मयाद अवधि आर्टिकल 121 लीमिटेशन एक्ट के तहत 60 दिन है जो अवधि भी व्यथित हो चुकी है। अतः प्रार्थीगण का अवमानना प्रार्थना पत्र एबेट हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एबेट फरमाने का आदेश फरमावे।

5. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी संख्या 1 व 4 की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 21.08.2003 को जिसकी सूचना वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25.02.2006 को वकील प्रार्थी द्वारा दी गई थी। प्रार्थी संख्या 4 प्रार्थी गोरधन के स्वर्गवास की जानकारी स्वयं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेशी दिनांक 18.11.2015 को न्यायालय की आदेशिका में अपने हस्तलेख में लिखकर एवं हस्ताक्षर कर दी परन्तु फिर भी आज दिनांक तक वकील प्रार्थीगण द्वारा मृत प्रार्थी गोरधन के कायममुकामात को रिकॉर्ड पर प्रतिस्थापित करने बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि प्रार्थीया धापू के कायम मुकाम उसकी पुत्रीया सीता व नारायणी शादी सुदा है। अतः उनके इन्टरेस्ट को अन्य प्रार्थीगण द्वारा रिप्रजेन्ट नहीं करते हैं। न ही वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की मृत्यु के लगभग 15 वर्ष बाद तक भी कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये। इसके अलावा प्रार्थी गोरधन के कायम मुकामात को रिकॉर्ड पर प्रतिस्थापित करने हेतु भी बहस सुनी जाने की दिनांक तक कोई आवेदन नहीं किया। इस कारण चूंकि प्रार्थीगण संख्या 01 व 04 के कायम मुकाम रिकॉर्ड पर नहीं आने कारण प्रार्थीगण का सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एबेट हो जाता है इसलिये पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी.) का प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 1 व 4 के कायम मुकाम लिये हुये नहीं चल सकता है तो पूरा प्रार्थना पत्र एबेट हो जाने से खारिज किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2006 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.07.2019 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. का उक्त दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी.) एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।



Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

